कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

क्रमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/ 8034 दिनांक 11.07.2020

:: आदेश ::

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक पं.33(2)गह–9/2019 जयपुर दिनांक 11.07.2020 के द्वारा पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोविड–19 के पॉजिटिव केसेज की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि राज्य की सीमाओं पर अबाधित आवागमन व्यवस्था इसका एक प्रमुख कारण है। ऐसे प्रकरण भी सामने आए है जहां राज्य के निवासी, अन्य राज्यों में सामाजिक समारोह, जैसे शादी इत्यादि, में सम्मिलित होकर स्वयं संक्रमित हुए है तथा इन्होनें इसके साथ अन्य लोगो को भी संक्रमित किया है।

आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 की रोकथाम हेतु किये गये विभिन्न प्रयासों के मददेनजर रखते हुये एवं जनसुरक्षा के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा **व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण** कर निम्न निर्देश जारी किये गये है, जो अग्रिम आदेशो तक प्रभावी रहेगें।

1. **राज्य में अन्य राज्यो से आने वाले व्यक्तियों का आगमन–**
   राज्य में बाहर से आ रहे व्यक्तियों का प्रवेश निम्नानुसार नियंत्रित किया जायेगा–
   1. अन्तर्राष्ट्रीय उडानो से
      यह आगमन विदेशो में फंसे हुए भारतीयों नागरिको के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न आदेशो के अनुरूप होगा।
   2. निर्धारित उडान/ट्रेन/बस
      ऐसे व्यक्ति निर्धारित सुरक्षा प्रोटॉकॉल के पश्चात ही यात्रा करने हेतु अनुमत है। हवाई अडडा/रेलवे स्टेशन/बस स्टेण्ड पर उनकी पुनः स्क्रीनिंग की जावे।
   3. सडक मार्ग से (निजी बस/टैक्सी/निजी परिवहन)–
      बॉर्डर पर चैकपोस्ट स्थापित कर इन समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाये एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चैक किये जाये।
2. **राजस्थान राज्य के बाहर व्यक्यिों का प्रस्थान–**
   1. राज्य के बाहर यात्रा करने के लिये व्यक्तियों के लिये पास आवश्यक होगा। यह पास निम्न कार्यालयों से प्राप्त हो सकेगा–
      1. कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
      2. जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर
      3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट
      4. पुलिस उपाधीक्षक
      5. स्थानीय पुलिस स्टेशन

      क्रम संख्या 3 से 5 के अधिकारी उनके स्तर पर जारी किये गये पासों की सूचना कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक को देंगें।
   2. उपरोक्त के अतिरिक्त जिला प्रशासन (संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवाहन अधिकारी, स्टेशन अधीक्षक, बस डिपो मैनेजर तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन के द्वारा) हवाई अडडा, रेलवे स्टेशन, एवं बस स्टेण्ड पर एक काउण्टर भी स्थापित किया जायेगा, जहां से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात यात्रा के लिये तत्काल पास जारी किया जा सकेगा। परन्तु ऐसे व्यक्ति जो यह पास बनवाना चाहते है, उनको यात्रा के प्रस्थान से समुचित समय पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। इन स्थानो पर यात्रा संबंधि स्क्रीनिंग पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी

3. जो व्यक्ति राज्य के बाहर सडक मार्ग से प्रस्थान कर रहे है (क्रम संख्या 2 के अतिरिक्त) उनकी स्क्रीनिंग एवं पास व पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैकपोस्ट पर भी किया जायेगा।
4. निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिये पास की व्यवस्था नही होगी, परन्तु उनकी यात्रा/अन्य दस्तावेजो का सत्यापन किया जायेगा।
    1. जो व्यक्ति 12 जुलाई 2020 को निर्धारित उडान/ट्रेन/आरएसआरटीसी बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे है।
    2. विशेष निजी आपातकालीन स्थिति (स्वयं के परिवार में मृत्यू/एक्सीडेन्ट अथवा अस्पताल मे भर्ती की स्थिति में) उचित सत्यापन के पश्चात।

जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रशासन (संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवाहन अधिकारी, स्टेशन अधीक्षक, बस डिपो मैनेजर तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन) यह सुनिश्चित करेगें कि पास जारी करने तथा हवाई अडडा/रेलवे स्टेशन/बस स्टेण्ड पर स्क्रीनिंग की आवश्यक निर्धारित व्यवस्था तत्काल स्थापित की जावें।

जिला पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित करे कि बॉर्डर पर चेकपोस्ट तत्काल स्थापित की जावे, जहां पर राज्य के भीतर आने वाले एवं राज्य के बाहर जाने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग एवं दस्तोवजो आदि के सत्यापन की समुचित व्यवस्था हो।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

11-07-2020

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

क्रमांक प.17( ) न्याय/कोरोना/2020/8035-55 दिनांक 11.07.2020

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह विभागएवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, पीएचईडी विभाग जयपुर एवं संभाग प्रभारी भरतपुर
3. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक... राजस्थान।
7. जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर को तत्काल पालनार्थ।
8. अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/गंगापुर सिटी।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर।
10. प्रभारी अधिकारी वाररूम/कन्ट्रोल रूम कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर।
11. उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार मलारनाडूँगर/सवाईमाधोपुर/गंगापुरसिटी/बामनवास/बौली/खण्डार/चौथ का बरवाडा/वजीरपुर
12. पुलिस उपाधीक्षक सवाई माधोपुर शहर/ग्रामीण/गंगापुरसिटी/बामनवास
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर/गंगापुरसिटी
15. आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर/गंगापुरसिटी
16. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति.................................जिला सवाई माधोपुर।
17. जिला परिवहन अधिकारी सवाई माधोपुर
18. स्टेशन अधीक्षक रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर/गंगापुरसिटी/चौथ का बरवाडा
19. डिपो मैनेजर रोडवेज सवाई माधोपुर
20. आयुक्त नगर परिषद सवाई म धोपुर
21. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सवाई माधोपुर को समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

11-07-2020

जिला मजिस्ट्रेट